

कार्यालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उदयपुर

क्रमांक : 6

दिनांक : 15.02.2025

संशोधित कार्यालय आदेश

मैं अम्बिका सोलंकी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उदयपुर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 13(2) व 450(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रशासनिक कारणों से इस कार्यालय के पूर्व प्रसारित क्रमांक 3 दिनांक 23.01.2025 में आंशिक संशोधन करते हुए दिनांक 22.02.2025, 23.02.2025 एवं दिनांक 26.02.2025 को खैरवाडा, सराडा एवं सलूमबर के न्यायालयों से संबंधित पुलिस थानों के न्यायिक/पुलिस अभिरक्षा, जमानत संबंधी व अति आवश्यक कार्य जैसे - मृत्यु कालीन कथन, मृत्यु समीक्षा (Inquest) कार्य करने हेतु इस कार्यालय द्वारा पूर्व प्रसारित आदेश क्रमांक 03 दिनांक 23.01.2025 में उक्त दिवसों हेतु आदेशित उदयपुर मुख्यालय पर स्थित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों द्वारा निष्पादित किए जाने हेतु अधिकृत करती हूं।

शेष आदेश यथावत प्रवर्तनीय रहेगा।

(अम्बिका सोलंकी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उदयपुर (राज.)

क्रमांक : स्था./2025/211-324

दिनांक : 15.02.2025

1. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, उदयपुर।
2. श्रीमान पुलिस अधीक्षक उदयपुर/सलूमबर को संबंधित थानाधिकारियों द्वारा उक्त निर्धारित समय पर रिमांड आदि प्रस्तुत करवाए जाने हेतु।
3. उदयपुर न्यायक्षेत्र के समस्त मजिस्ट्रेट न्यायालय।
4. सहायक निदेशक, अभियोजन विभाग को एपीपी की ड्यूटी की व्यवस्था हेतु।
5. श्री अमोल शांडिल्य, सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, उदयपुर।
6. बार एसोसियेशन उदयपुर/ मावली/ वल्लभनगर/ खैरवाडा/ सराडा /सलूमबर/कोटडा / झाडोल /गोगुन्दा/भीण्डर/कानोड

(अम्बिका सोलंकी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उदयपुर (राज.) 01/2